न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 23/2018

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. छगना पुत्र सकराम बैरवा
2. रामकिशन पुत्र सकराम बैरवा
3. पोलू पुत्र सकराम बैरवा

समस्त निवासीगण प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—वादीगण

♠ बनाम ♠

1. उगमा पुत्र सकराम बैरवा
2. रामधन पुत्र सुवा बैरवा
3. हेमराज पुत्र सुवा बैरवा
4. नाथू पुत्र देबी बैरवा
5. बन्नालाल पुत्र मेवा बैरवा

समस्त निवासीगण प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

———प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 11.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प प्रान्हेडा में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 36, 42, 758, 43, 757, 38 में वर्णित भूमि आराजी में दर्ज कुल किता खसरा नम्बर 23 जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना हिस्सा अजनबी खातेदार को बैचान कर दिया है जिसके कारण वादी व प्रतिवादीगण में आये दिन सीमाओं को लेकर व लगान आदि को जमा कराने को लेकर वाद विवाद होते रहते है जिसके कारण वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का बटवारा किये जाने हेतु वादपत्र पेश किया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या बावजूद सूचना के उपस्थित नही है। प्रतिवादी संख्या 5 को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी के तलब किया किन्तु प्रतिवादीगण में से राधाकिशन पुत्र चन्द्रा बैरवा निवासी प्रान्हेडा ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 को बैचान कर दिया है जिससे राधाकिशन के स्थान पर क्रेता को प्रतिवादी संख्या 5 बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का इकबाले जवाब पेश किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को वादी का दावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 5 का कोई जवाब पेश नही हुआ है किन्तु उसने राधाकिशन का हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है जिसपर राधाकिशन के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 5 काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज होने से वादी का दावा प्रेमापेशाई होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष में है।

अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 36, 42, 758, 43, 757, 38 में वर्णित भूमि आराजी में दर्ज कुल किता खसरा नम्बर 23 का दावा स्वीकार कर वास्ते बटवारा हेत स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी का अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी का बटवारा किये जाने हेतु तहसील केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में आगामी पेशी तक पेश करें। पत्रावली बटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 23.05.2018 को न्यायालय हाजा में पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

केकड़ी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official